

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पुरीदाबाद ।
=====

आदेश क्रमांक : जी-2-96/

1531-1535

दिनांक - 11.6.96 -

विषय :- स्थाई मान्यता ।
=====

~~नवोदय विद्या निकेतन~~ - - - - हाई/मिडिल स्कूल
गाजीपुर रोड डबुआ कॉलेजी पुरीदाबाद को कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक
तुरन्त प्रभाव से स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है ।

- 1- सरकार से किसी प्रकार की ग्रांट इन एड के लिए मांग नहीं करेगा ।
- 2- समय-2 पर मांगी गई सूचना विभाग को भेजनी होगी और नियमों का पालन करना होगा ।
- 3- हरियाणा एज्युकेशन कोड की धारा 214 का विशेष ध्यान रखना होगा ।
- 4- शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना करने पर मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।

राज बीका
जिला शिक्षा अधिकारी
पुरीदाबाद

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- मुख्य अध्यापक, ~~नवोदय विद्या निकेतन~~ - - - - हाई/मिडिल स्कूल गाजीपुर रोड डबुआ कॉलेजी पुरीदाबाद
- 2- प्रबन्धक, - - - - सम - - - - -
- 3- उप-मंडल शिक्षा अधिकारी - - पुरीदाबाद - - - - -
- 4- निदेशक, सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा, चन्डीगढ़ ।
- 5- सचिव, हरियाणा, विजय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

जिला शिक्षा अधिकारी,

पुरीदाबाद

10/6/96